ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-2*March- 2018
Innovation The Research Concept

खाप पंचायत और स्त्रियों की स्थिति

शारदा इन्दलिया
व्याख्याता,
हिन्दी विभाग,
सेठ आर.एन.रूईया राजकीय महाविद्यालय,
रामगढ़ शेखावाटी, सीकर
राजस्थान

सारांश

न्याय की व्यवस्था के लिए समाज के चुने हुए प्रबुद्ध मुखियाओं का एक संगठन, जिसमें सामाजिक समस्याओं को मिल बैठकर सुलझाया जा सकें– 'खाप' कहा जाता है। प्राचीन युग से ही सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए 'खाप पंचायत व्यवस्था का प्रचलन रहा है। किन्तु वास्तविकता यह है कि इन खाप या सर्वखाप पंचायतों जैसी व्यवस्थाओं के कारण स्त्रियों के मान–सम्मान व विकास का मार्ग न केवल अवरूद्ध रहा है बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं स्त्रियों के विरूद्ध ही खड़ी नजर आती है। प्रस्तुत शोध पत्र खाप पंचायतों के द्वारा मान–सम्मान के नाम पर स्त्रियों के मानवीय अधिकारों के हनन एवं मौलिक अधिकारों पर ठेस पहुँचाये जाने की वृत्ति पर प्रकाश डालने का विनम्र प्रयास है।

मुख्य शब्द : खाप, सर्वखाप पंचायत, समगौत्र, पाल।

प्रस्तावना

हमारे देश में सदियों से धर्म–सम्प्रदाय, ऊंच–नीच, जाति, लिंग–भेद आदि भेदभावों को दूर करने के लिए जागरण अभियान चले आ रहे हैं। जिनसे सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए सांस्कृतिक मूल्यों, परम्पराओं व मान्यताओं को स्थापित कर एक सुसभ्य समाज की स्थापना की जा सकें इसलिए ''प्राचीन युग से सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए ऐसी ही एक व्यवस्था स्थापित की गई जिसका नाम है –''खाप पंचायत''

खाप शब्द की व्याख्या करें तो एक उदात्त भाव सामने आता है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है :–''ख और 'आप' –'ख' का अर्थ है –'आकाश' और 'आप' का अर्थ हैं–'जल' अर्थात् ऐसा संगठन जो आकाश की तरह सर्वोपरि हो और पानी की तरह स्वच्छ–निर्मल, जो सभी के लिए उपलब्ध हो, न्यायकारी हो।'' ऐसे ही न्याय की व्यवस्था के लिए समाज के चुने हुए प्रबुद्ध मुखियाओं का एक संगठन जिसमें सामाजिक व्यवस्थाओं को मिल बैठकर सुलझाया जा सके। वास्तव में सामाजिक व्यस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के लिए ऐसे संगठन की स्थापना की जाती है।

अध्ययन का उद्देश्य

हमारा देश सदियों से समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत है व इसके लिए जागरण अभियान चलाये जा रहे हैं जिनमें से खाप या सर्वखाप पंचायत, (एक संगठन) है। जो आज वास्तविक स्वरूप को खो रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सुसभ्य नागरिक (स्त्री व पुरूष) जो समाज के स्वयंभू ठेकेदार हैं अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण असभ्य, गैर कानूनी, खूनी व तुगलकी फरमान जारी कर मासूम व निर्दोष स्त्रियों के मौलिक अधिकार व मानवीय अधिकारों से वंचित कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित स्त्रियाँ ही हैं। इस पत्र का उद्देश्य स्त्रियों को आधुनिक युग में अपने उन्नत भविष्य के लिए जागरूक करना तथा साथ ही आज के तथाकथित स्वयंभू ठेकेदारों को खाप की वास्तविक परिभाषा, सिद्धान्त, मूल्य, इतिहास और ध्येय की ओर भी ध्यान आकर्षित करना है। सिर्फ तुगलकी फरमान, और मनमाने आरोपो से स्त्रियों को नियंत्रित कर समाज रूपी वाहन को उन्नत नहीं किया जा सकता है। स्त्रियों के मौलिक व मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है। तभी स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है।

प्राचीन युग में पचायतें समाज को जोड़ने का काम करती थी लेकिन आज समाज को तोड़ने का कार्य कर रही है। समाज रूपी वाहन के पुरूष व नारी दो पहिए हैं जिनका सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है। यदि यह सन्तुलन बिगड़ता है तो जीवन व समाज रूपी गाड़ी अपने पथ पर आगे नहीं बढ़ सकती। यदि इन पंचायतों का इतिहास देखें तो वह बहुत पुराना है – महाभारत से लेकर रामायण काल, उसके बाद आगे बढ़ता हुआ मुगल शासन व अंग्रेजी के

शासन की यात्रा करते हुए आज तक समाज में कायम है। खाप से सम्बन्धित प्राचीन कथा प्रजापति दक्ष एवं शिव–पार्वती की मानी जाती है।

कहा जाता है कि– प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। जिसमें शिव–पार्वती को निमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पर बिना बुलाये चली गई जिससे दक्ष ने दोनों का घोर अपमान किया और सती ने तत्काल यज्ञस्थल पर स्वयं को भस्म कर दिया। जिससे शिव ने क्रोधित होकर वीर भद्र को उत्पन्न किया और उसकी गण सेना द्वारा यज्ञ का विध्वंस करा दिया व दक्ष का सर काट दिया गया।

इसी प्रकार रामायण में भी जिस वानर सेना का उल्लेख मिलता है वह खाप पर ही आधारित थी। राम व लक्ष्मण की व्यथा सुनकर हनुमान व सुग्रीव ने अपनी सर्वखाप पंचायत को बुलाया और लंका पर कूच करने का निर्णय लिया गया। तत्कालीन भील, कोल, किरात, वानर, रीछ, सेन, जटायु आदि विभिन्न जातियों एव खापों ने भाग लिया था। इसी तरह महाभारत में भी पंचायत बुलाकर संजय को कौरवो के पास भेजा और स्वयं श्री कृष्ण पंचायत के फैसले के हिसाब से केवल (5) गाँव देने के लिए हस्तिनापुर गये। शकुनी, कर्ण और दुर्योधन द्वारा फैसला नामंजूर हुआ जिसका भयंकर परिणाम महाभारत युद्ध हुआ।

कृष्ण ने उस समय उत्तरी भारत के साम्राज्यवादी शासकों से संघर्ष करने के कारण एक संघ का निर्माण किया जिसके सदस्य आपस में सम्बन्धी होने थे इसलिए उसका नाम–'ज्ञाति संघ' रखा गया। ''यह संघ व्यक्ति प्रधान नहीं था इसमें शामिल होते ही किसी राजकुल का पूर्व नाम आदि सब समाप्त हो जाने थे।'' इस प्रकार प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि ''परिस्थिति और भाषा के बदलते रूप के कारण 'ज्ञान' शब्द ने 'जाट' शब्द का रूप ले लिया है।

ठाकुर देशराज लिखते हैं कि '' महाभारत काल में गण का प्रयोग संघ के रूप में किया गया है। बुद्ध के समय में भारतवर्ष में 116 प्रजातंत्र (जनपद) थे।'' ऐसे ही महाभारत के शांति पर्व में अध्याय 108 में गणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म से–कि गणों के संबंध में आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वे किस तरह बढ़ते हैं, किस तरह शत्रु की भेदनीति से बचते हैं और विजय प्राप्त करते हैं और कैसे मित्र बनाते हैं व गुप्त मंत्रों को छुपाते है।

''इस प्रकार महाभारत व रामायण काल के गण और संघ वर्तमान खाप और सर्वखाप के ही रूप थे। जिनमें स्त्री पात्रों के साथ क्या–क्या घटना हुई वह जग जाहिर है। समयचक्र के साथ–साथ इनका स्वरूप बदलता गया मुगल व अंग्रेजी शासन काल में समाज को एक स्वस्थ वातावरण देने के लिए इनका सहारा लिया। जिससे इनका महत्व बढ़ता गया। प्रान्त व गाँवों के छोटे–बड़े फैसले पंचायतों द्वारा ही लिए जाने लगे। उनका निर्णय सभी को मान्य होता था। पाल इसकी छोटी इकाई होती थी और कई पालों से मिलकर खाप बन जाती थी। इसलिए एक गौत्र का संगठन पाल होता और कई जातियों व गौत्र मिलकर खाप में शामिल हो जाते है। इस प्रकार जाट संगठन का अपना पूरा अलग अस्तित्व है और इनकी इच्छानुरूप ही इनका आकार रहता है।

इनका वास्तविक ध्येय न्याय करना व अन्याय का विरोध करना है। सभी एकजुट होने के लिए जिस गौत्र, गाँव या पाल पर विश्वास होता है वह उसी खाप में शामिल हो जाते हैं। इसकी सदस्यता पर कोई रोक–टोक नहीं है।

'भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़ीसा आदि में ये व्यवस्थाएं है जिनका परिस्थितियों व समयानुसार आज स्वरूप बदलता जा रहा है। खाप एक सामाजिक प्रशासनिक पद्धति व न्यायपालिका की सहायक के रूप में प्रचलित है लेकिन आधुनिक युग में इन व्यवस्थाओं मे पुरानी दोषपूर्ण परम्पराओं व मान्यताओं के कारण विकृतियां समाहित हो गई है जिसके कारण स्त्रियों की शिक्षा मान–सम्मान व प्रगति का मार्ग अवरूद्ध सा हो गया है। जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव स्त्री जाति पर पड़ा। जिसका मुख्य बड़ा कारण ''सम गौत्र'' विवाह के रूप में सामने आ रहा है। इसके पिछे वैज्ञानिक कारण भी बताते हैं कि एकगौत्र या एक ही समूह में विवाह करने से बहुत से हानिकारक जीन विकसीत हो जायेंगे जिनसे कई रोग पैदा हो सकतें है लेकिन इस तर्क से तो ऐसा लगता है कि एक जाति या उपजाति में भी विवाह करने से ऐसे रोगों से पीड़ित हो जायेंगे। फिर भी हिन्दू धर्म में मानतें है कि एक गौत्र के लोग एक ही पिता के वशंज हो जाते हैं तो जाति व उपजाति के लोग भी उसी आदि पुरूष की सन्तान हो जाती है। इसका मतलब तो यह हुआ कि फिर तो अन्तर्जातीय व अन्तर्धार्मिक विवाह ही ज्यादा ठीक हैं। लेकिन खाप इन्हीं की तो विरोधी हैं। इसलिए समगौत्री विवाह पर रोक लगातें है इस प्रकार के मतों से तो उनकी पुरातन पंथी मानसिकता का ही परिचय मिलता है। जिससे नारी सम्मान व नारीवादी उत्थान से मिलने वाली चुनौतियों से खाप परेशान होकर तुगलकी फरमान निकाल देती हैं। इनके दोषपूर्ण फैसलों के कारण ये स्त्रियों के विरूद्ध ही खड़ी नजर आती हैं जैसे कभी उनको वस्त्रहीन व मुँह काला कर पूरे गाँव में घुमाना,डायन आदि का आरोप लगाकर बांधकर पीटना, समाज से बहिष्कृत कर देना आदि अमानवीय तरह से व्यवहार किया जाता है जो कानून के विरूद्ध है। वर्तमान में बहुत से प्रकरणों में जैसे–ढराणा प्रकरण, वेदपाल हत्याकाण्ड, सिवाना हत्याकाण्ड, मनोज व बबली हत्याकाण्ड, पत्रकार निरूपमा हत्याकाण्ड तथा बिजनौर में बाला जैसी बहुत सी महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार करने वाले फैसलों से इन पंचायतों पर सवालिया निशान खड़ा होता है जिसकी उच्चतम न्यायालय द्वारा भर्त्सना की गई है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, ए.एम. खानविलकर और डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने गैर सरकारी संगठन शक्तिवाहिनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि–'' किसी भी व्यस्क युवक व युवती को अपनी पंसद के मुताबिक विवाह करने का अधिकार है, और उस पर समाज, पंचायतों और यहाँ तक कि उनके अभिभावकों को भी सवाल खड़े करने का अधिकार नहीं

है। कोई खाप पंचायत या व्यक्ति जोड़ों को विवाह करने से रोकता है तो यह गैर कानूनी है। स्त्रियों के प्रति तुगलकी फरमान सुनाने के कारण व समगौत्र विवाह करने के कारण कितने ही मनोज और बबली जैसे युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। इनके द्वारा जारी फरमान जैसे लड़कियों के स्वेच्छा से पहचावे पर रोक लगाना, मोबाईल फोन रखने पर रोक लगाना, 40 वर्ष से कम स्त्रियों को शाम के बाद घर से बाहर निकलने पर रोक लगाना तथा लड़कियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष से 15 वर्ष करना, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वाले से पीड़िता का जबरदस्ती विवाह करवाना व परिवार की इज्जत के नाम पर आत्महत्या के लिए विवशं कर देना आदि स्त्रियों के मौलिक व मानवीय अधिकारों पर ठेस लगाने वाले हैं। कुछ समय पहले ही डॉ.डी.आर. चौधरी ने खाप पंचायतों को महिला विरोधी मानसिकता वाली पंचायत कहा है। इनके अनुसार स्त्री विरोधी कहावतें :– 'महिलाएं तो पैर की जूती है,'' ''स्त्रियों की बुद्धि तो गुद्दी में होती है'' आदि बातें इनकी दूषित मानसिकता को प्रदर्शित करती है। पंजाब, हरियाणा, और पश्चिमी उत्तरप्रदेश आदि इनकें कुछ कारण तो ये हैं कि इन राज्यों में जनसंख्या में महिला–पुरूष का गिरता अनुपात हैं। जिससे विवाह पर इन पंचायतों का भी दबाव हैं। आज के युग में लड़कियां ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर रही है और अपने समकक्ष लडकों की शिक्षा कम होना भी कारण है। कुछ वर्षो में तो यह भी सामने आया है कि घर छोड़कर शादी करने वाले अपने माता–पिता की रजामंदी होने पर भी इन पंचायतों द्वारा उनका ''रिश्ता अवैध घोषित कर दिया जाता है। इसलिए इन पंचायतों का रूख तो ऐसा भी है कि– ''छोरे तो हाथ से निकल गये, छोरियों को पकड़ कर रखो'' और लड़कियों पर ही यह परम्परा, समाज की इज्जत व प्रतिष्ठा आदि का बोझ डाल दिया जाता है। इस मानसिकता वाले लोग समझते हैं कि समाज को आगे बढ़ाना है तो संस्कार, सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा स्त्री को निंयत्रण में रखकर ही आगे बढाया जा सकता है। तो इस तरह की संकीर्ण मानसिकता से समाज व स्त्री का कमी भी भला नहीं हो सकता है।

निष्कर्ष

अच्छा तो यह होगा कि ये कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय सामाजिक कुरीतियों जैसे अशिक्षा, दहेज–प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या आदि के विरूद्ध आवाज उठाये। सर्वोच्च न्यायालय व योजना आयोग की दखल के बाद खाप के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा तथा स्त्री अशिक्षा के विरूद्व आवाज उठाई जाने लगी है जो शुभ संकेत है। इस प्रकार स्त्रियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा एवं व्यक्तित्व विकास के लिए खाप पंचायत द्वारा ऐसे कदम उठाये जाये जिनसे समाज व स्त्री के उत्थान के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डॉ. ओमपाल सिंह तुगानिया – जाट समुदाय के प्रमुख आधार बिन्दु। आगरा 2004 पृष्ठ सं.10,13*
2. *डॉ. ओमपाल सिंह तुगानिया – जाट समाज की प्रमुख व्यवस्थाएं। आगरा 2004 पृष्ठ सं. 13*
3. *श्री लिंग महापुराण (सटीक) गीता प्रेस गोरखपुर, 2014, पुर्व भाग 100–7, पृ. सं. 530*
4. *महाभारत नारद – श्री कृष्ण सम्वाद*
5. *ठाकुर गंगासिंह – ''जाट शब्द का उदय कब और कैसे,'' जाट–वीर स्मारिका, ग्वालियर, 1992 पृ. सं. 6*
6. *ठाकुर देशराज – जाट इतिहास, महाराजा सूरजमल स्मारक शिक्षा संस्थान, दिल्ली, 1934 पृ.सं. 89*
7. *शान्ति पर्व महाभारत पुस्तक XII अध्याय 108*
8. *डॉ. ओमपाल सिंह तुगानिया – जाट समुदाय के प्रमुख आधार बिन्दु आगरा 2004 पृष्ठ सं. 23*
9- *http://www.samaylive.com/aaj-ki-baat/391552/vigorously-on-the-khap.html*
10. *समाचार पत्र आदि अवलोकन।*